

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र. नं. ०४/१५ तारीख २२ जू ११.१.१५

उनका नाम - रामजी लाल बनाम जंगारा प्रभु/ना केने खोहर।

प्रार्थना पत्र उल्लंघन अध्यायी निषेधाज्ञा प्रीच सन्तर्गत आर्डर ३१ मल २१।

प्रार्थी की ओर से भी सुरेशचन्द्र शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा उल्लंघन (प्रीच) सन्तर्गत ०३१२२१ के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का सबलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अध्यायी जगो को जरिये नोटिस से तलाब कर दिनांक १४.१.१५ को पेश हो।

२३४५.४९
१.१.१५

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

१४/१५ प्रार्थी वकील उपर। अध्यायी नं. ११.५ की ओर से क्षीमदन मोहन शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अध्यायी नं. ५.६ के नोटिसो की लक्ष्मीन विधिवत न्याय से हो चुकी थी किन्तु उपस्थित नहीं थी कान: इति विमल एक पक्षीय अध्यायी की जारी थी कस्तो जखब दि. ३०.१.१५ को पेश हो।

३०/१५ वकालत उपस्थित। अध्यायी पेश काने के विषय समय चाह। आर्डर दिनांक ३१-१-१५ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

8-19

वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करोली
पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 13-9-19 को पेश हो।

13-9-19 वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करोली
पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 3-10-19 को पेश हो।

30-10-19 वकुलाय उप0/ साक्ष्य पेश करने पुनः समय-चारा/साक्ष्य
पेश करने दिनांक 30-10-19 को पेश हो।

30-10-19 वकुलाय उप0/ गतानुसार बाकी साक्ष्य पेश करने दिनांक 5-11-19
को पेश हो।

5-11-19 वकुलाय उप0/ बाकी साक्ष्य पेश करने एकमोरा रौर-चारा/
साक्ष्य पेश करने दिनांक 21-11-19 को पेश हो।

21-11-19 वकुलाय उप0/ गतानुसार दिनांक 5-12-19 को पेश हो।

5-12-19 वकुलाय उप0/ गतानुसार दिनांक 13-12-19 को पेश हो।

13-12-19 वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी चुनाव कार्यालय
करोली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 18-12-19 को पेश हो।

18-12-19 वकील अभय प्रसन्न उपस्थित | प्रार्थी वकील ने यह प्रार्थना
पत्र हीन Not Press कर स्वादिज करने का कथन किया
अतः यह प्रार्थना पत्र हीन Not Press में स्वादिज
किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से
क्रम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Next Page 48
@sham

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)

